अधिस्वीकृत पत्रकार मेंडिक्लेम बीमा पालिसी की जानकारी तीन दिवस में भिजवाएं

झुन्झुनू, 05 जुलाई : सूचना एवं जनसर्म्पक अधिकारी बाबूलाल रैगर ने जिले के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों से कहा है कि राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को कैशलेस किया जाएगा तथा अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रिमियम राशि नही ली जाएगी। राज्य सरकार की वर्ष 2017–18 की बजट घोषण क्रियान्विति के सम्बन्ध में जिले के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकार प्रपत्र परिशिष्ट 'क' में पूर्ति करवाकर एवं जन्मतिथि, आय, वर्तमान, स्थाई पते सम्बन्धी फोटो आई.डी. अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसर्म्पक निदेशालय को तीन दिवस में भिजवाया जाना है। अतः 7 जुलाई तक आवश्यक रूप से अपने आवेदन झुंझुनू कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

————————